

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 174 / 2021

इस कार्यालय के पत्रांक KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20 दिनांक 24.09.2020 एवं मरेप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा मंडल के पत्र सं० SER/P-ADA/Rg(G)/ALP/223/6/Part-/IDMT/SK दिनांक- 20.01.2021 द्वारा श्री अमित मुर्मू पुत्र फूलचंद मांझी, सलोपा (वि.) लेवल-02 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरीनी, सोनपुर मंडल एवं श्री संजीत कुमार पुत्र स्व० रामानंद पंडित, प्रसलोपा(वि.) लेवल-04 अधीन चालक नियंत्रक(प्रमारी)/द.पू.रे./आनारा, आद्रा मंडल/दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ सलोपा लेवल-02 में निम्नतम बरीयता पर अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री अमित मुर्मू पुत्र श्री फूलचंद मांझी, सलोपा(वि)/बरीनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे आद्रा मंडल विरमित किया जा सके। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलो से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनो कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. बरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त पर वमविइ(टीआरओ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(विजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

दिनांक:- 17.03.2021

सं०- KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मरेप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/आद्रा।
02. वमविइ/टीआरओ/सोनपुर।
03. मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरीनी- उक्त कर्मचारी को 03.07.2020 से अब तक का अवकाश विवरण के साथ विरमित करे।
04. मुख्य कार्याधी/विल/बरीनी।
05. संबंधित अम्यर्था।
06. अभिलेख प्रति।
07. कार्यालय आदेश प्रति।
08. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर